न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 75/2021

1. रमेश कुमार पुत्र दलीपसिंह जाति जाट निवासी सागडा त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. दलीपसिंह दतक पुत्र अमीचंद जाति जाट निवासी सागडा त0 भादरा।
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जाट निवासी शिव कॉलोनी, आदमपुर मण्डी हरियाणा।
3. अनिल सिंह पुत्र दलीपसिंह जाति गांधी कॉलोनी लालगढ, बीकानेर।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कृष्ण भारी : वादी
वकील श्री लीलाधर अग्रवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय   दिनांक : 25/6/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 जेएसएल के खाता सं0 88/87 के मु0 न0 147 के किला न0 16 की 0.2530है0, मु0 न0 148 किला न0 19/1, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25 कुल 1.6200है0 बारानी, मु0 न0 163 किला न0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 1.7710है0 बारानी व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 75/75 के मु0 न0 126 किला न0 19, 20, 21, 22, 23 कुल 1.2650है0, बारानी 1.2260है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0390है0, मु0 न0 127 किला न0 16, 17, 18, 23, 24, 25 कुल 1.5180है0, बारानी 1.4540है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0640है, खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 दलीपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा अमीचंद की खातेदारी हुआ करती थी। अमीचंद के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 दलीपसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने प[illegible]तिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने [illegible]दी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा [illegible] हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राज[illegible] वादी ने प्रतिवादी [illegible] को [illegible] अंकित किया प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा [illegible] किये जाने पर तनकी [illegible] आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रमेश कुमार पुत्र दलीपसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही चक 9 जेएसएल प्रदर्श 1,

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:18:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जमाबंदी चक 10 जेएसएल प्रदर्श 2, जमाबंदी पुरानी चक 10 जेएसएल प्रदर्श 3 व चक 9 जेएसएल प्रदर्श 4, शपथ पत्र बावत् वारिसान प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही चक 9 जेएसएल, 10 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही चक 9 जेएसएल प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 10 जेएसएल प्रदर्श 2, जमाबंदी पुरानी चक 10 जेएसएल प्रदर्श 3 व चक 9 जेएसएल प्रदर्श 4, शपथ पत्र बावत् वारिसान प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। तथा प्रदर्श 5 शपथ पत्र मय वारिस प्रमाण के अनुसार दलीपसिंह के तीन पुत्र रमेश कुमार, जितेन्द्र सिंह व अनिल सिंह तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । तथा वादभूमि के अलावा चक 9 जेएसएल में प्रतिवादी सं0 1 के नाम अन्य कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 जेएसएल के खाता सं0 88/87 के मु0 न0 147 के किला न0 16 की 0.2530है0, मु0 न0 148 किला न0 19/1, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25 कुल 1.6200है0 बारानी, मु0 न0 163 किला न0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 1.7710है0 बारानी व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 75/75 के मु0 न0 126 किला न0 19, 20, 21, 22, 23 कुल 1.2650है0, बारानी 1.2260है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0390है0, मु0 न0 127 किला न0 16, 17, 18, 23, 24, 25 कुल 1.5180है0, बारानी 1.4540है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0640है बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 दलीपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 दलीपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रमेश कुमार प्रतिवादी सं0 2 जितेन्द्र सिंह प्रतिवादी सं0 3 अनिल सिंह को बहिस्सा बराबर [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष [illegible] अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.21 को [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:18:00 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 75/2021

1. रमेश कुमार पुत्र दलीपसिंह जाति जाट निवासी सागडा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. दलीपसिंह दतक पुत्र अमीचंद जाति जाट निवासी सागडा त0 भादरा।
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जाट निवासी शिव कॉलोनी, आदमपुर मण्डी हरियाणा।
3. अनिल सिंह पुत्र दलीपसिंह जाति गांधी कॉलोनी लालगढ, बीकानेर।
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण भारी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 जेएसएल के खाता सं0 88/87 के मु0 न0 147 के किला न0 16 की 0.2530है0, मु0 न0 148 किला न0 19/1, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 25 कुल 1.6200है0 बारानी, मु0 न0 163 किला न0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल 1.7710है0 बारानी व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 75/75 के मु0 न0 126 किला न0 19, 20, 21, 22, 23 कुल 1.2650है0, बारानी 1.2260है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0390है0, मु0 न0 127 किला न0 16, 17, 18, 23, 24, 25 कुल 1.5180है0, बारानी 1.4540है0, गै0 मु0 रास्ता 0.0640है बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 दलीपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 दलीपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रमेश कुमार प्रतिवादी सं0 2 जितेन्द्र सिंह प्रतिवादी सं0 3 अनिल सिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.06.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by SatyaNarayan
Date: 2021.08.02 11:18:00 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner